



सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त अंतरविश्वविद्यालय केन्द्र
Information and Library Network Centre
An Autonomous Inter-University Centre of UGC
गांधीनगर / Gandhinagar-382 007

दिनांक : 17.07.2025

राजभाषा हिंदी उप-समिति की बैठक का विवरण/कार्यवृत्त

राजभाषा हिंदी उप-समिति की बैठक दिनांक 10.07.2025 को अपराह्न 05:00 बजे मीटिंग कक्ष में डॉ. सुरभि की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में सभी सदस्यों ने उपस्थित रह के चर्चा में उत्साहपूर्ण भाग लिया।

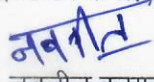
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

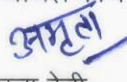
(राजभाषा हिंदी उप-समिति)

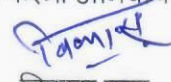
- | | |
|---|--------------|
| 1. डॉ. सुरभि, वैज्ञानिक-सी (एलएस) | - संयोजक |
| 2. श्री पल्लब प्रधान, वैज्ञानिक-सी (एलएस) | - सदस्य |
| 3. श्री विकास पाल, वैज्ञानिक-सी (सीएस) | - सदस्य |
| 4. श्रीमती अमृता देवी, वैज्ञानिक-बी (एलएस) | - सदस्य |
| 5. डॉ. नवनीत कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-बी (एलएस) | - सदस्य सचिव |

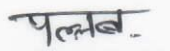
उप-समिति के सदस्यों ने निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया और अपने सुझाव प्रदान किये :-

1. सदस्यों ने 24 और 25 जुलाई 2025 को अखिल गुजरात हिंदी संगोष्ठी समारोह के आयोजन से सम्बंधित कार्यों की चर्चा की और सदस्यों को संगोष्ठी से सम्बंधित कार्य सौंपा गया।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3(3) के अंतर्गत सभी पत्र/सूचनाएँ द्विभाषी होनी चाहिए और हिंदी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी भाषा में देना अनिवार्य है। और सभी आंतरिक टिप्पणियाँ भी हिंदी में होनी चाहिए।
3. कार्यालयी सूचना आदान प्रदान और सभी संचार द्विभाषी करने के लिए एक प्रारूप की चर्चा हुई जिसमें, पहला अनुच्छेद हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में तथा पहले हिंदी में संपूर्ण विषय लिखने के बाद अंग्रेजी में लिखा जाये जिससे हिंदी जानने व न जानने वाले कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करने में किसी प्रकार कि कोई कठिनाई न आये।
4. एक गूगल फॉर्म के माध्यम से हिंदी में की गयी सभी पत्र-व्यवहार/सूचना/अन्य किसी प्रकार का भी संचार की त्रैमासिक क्रम में एक अभिलेख सुनिश्चित कर सकते हैं।
5. केंद्र से सभी परियोजनाओं/कार्यों को हिंदी भाषा में भी प्रस्तुत करना अनिवार्य हो।
6. केंद्र में वर्ष के प्रत्येक तिमाही में राजभाषा से सम्बंधित कार्यशाला का आयोजन करना अनिवार्य है।


डॉ. नवनीत कुमार शर्मा


अमृता देवी


विकास पाल


पल्लब प्रधान


डॉ. सुरभि